خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)
U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
(Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

संख्या : 537 /भाषाविवि/कुसका/2020/49/10TC
दिनांक : 15 जुलाई, 2020

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा की विद्यापरिषद की 08वीं बैठक दिनांक 15—07—2020 को अपरान्ह् 11:00 बजे का कार्यवृत्त।

उपस्थिति		
क्रम	अधिकारियों/शिक्षकों का नाम	पदनाम
1.	**प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा**, मा0 कुलपति/मा0 अध्यक्ष	मा0 अध्यक्ष
2.	**प्रो0 ए0 चर्टजी**, एक्स डीन, वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	विशेष आमंत्रित
3.	**प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ल**, प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	वाह्य सदस्य
4.	**प्रो0 मसऊद आलम**, विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग।	आन्तरिक सदस्य
5.	**प्रो0 सैय्यद हैदर अली**, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रबन्ध विभाग।	आन्तरिक सदस्य
6.	**प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी**, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग।	आन्तरिक सदस्य
7.	**डॉ0 एहतेशाम अहमद**, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग।	आन्तरिक सदस्य
8.	**डॉ0 तनवीर खदीजा**, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग।	आन्तरिक सदस्य
9.	**डॉ0 चन्दना डे**, विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग।	आन्तरिक सदस्य
10.	**डॉ0 फख़रे आलम**, सह आचार्य, उर्दू विभाग।	आन्तरिक सदस्य
11.	**डॉ0 मुशीर अहमद**, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबन्धन विभाग।	आन्तरिक सदस्य
12.	**डॉ0 अब्दुल हफीज़**, सहायक आचार्य, अरबी विभाग।	आन्तरिक सदस्य
13.	**डॉ0 प्रियंका**, सहायक आचार्य, गृह विज्ञान।	आन्तरिक सदस्य
14.	**डॉ0 मज़हर खालिक**, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर साइंस विभाग।	आन्तरिक सदस्य
15.	**डॉ0 नीरज शुक्ल**, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग।	आन्तरिक सदस्य
16.	**डॉ0 पूनम चौधरी**, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, प्रतिनिधि एस0सी0/एस0टी0।	आन्तरिक सदस्य
17.	**डॉ0 रूचिता सुजय चौधरी**, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, प्रतिनिधि एस0सी0/एस0टी0।	आन्तरिक सदस्य
18.	**श्री महेन्द्र कुमार भट्ट**, वित्त अधिकारी।	विशिष्ट आमंत्रित
19.	**श्री अशोक कुमार अरविन्द**, कुलसचिव/सदस्य सचिव	सदस्य सचिव

माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा विद्यापरिषद के माननीय अध्यक्ष/माननीय कुलपति व सभी सम्मानित सदस्यों व विशिष्ट आमंत्रित के रूप में उपस्थित प्रो0 ए0 चर्टजी तथा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी का बैठक में स्वागत किया गया। स्वागत के उपरान्त बिन्दुवार विद्यापरिषद की 08वीं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

कार्यवाही

बिन्दु संख्या–1

विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की 08वीं बैठक दिनांक 15–07–2020 की सूचना सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप पर अनुमोदन।

निर्णय–

विद्यापरिषद द्वारा विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की 08वीं बैठक दिनांक 15–07–2020 की सूचना सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–2

सत्र 2020–21 में विश्वविद्यालय के एम0सी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नवीन आवश्यक योग्यतानुसार प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श।

निर्णय–

विद्यापरिषद द्वारा सत्र 2020–21 में विश्वविद्यालय के एम0सी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नवीन आवश्यक योग्यतानुसार प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पत्र संख्या–F.No.AICTE/AB/MCA/2020-21 दिनांक 03.07.2020 को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया । इसके अतिरिक्त सत्र 2020–21 में विश्वविद्यालय के एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के Approval Process Handbook-(Corrigendum) के पृष्ठ संख्या–123 पर अंकित योग्यताओं को अंगीकृत किया गया।

यह भी निर्देश दिये गये कि उपरोक्त पत्र संख्या–F.No.AICTE/AB/MCA/2020-21 एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के Approval Process Handbook-(Corrigendum) के पृष्ठ संख्या–123 को विश्वविद्यालय की प्रस्तावित कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16–07–2020 में विस्तृत चर्चा हेतु कार्यसूची के बिन्दुओं में सम्मिलित कर लिया जाये।

बिन्दु संख्या–3

विश्वविद्यालयों के शोध विद्यार्थियों को आर0ए0सी0 बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदित कराने पर विचार।

निर्णय–

विद्यापरिषद द्वारा विश्वविद्यालयों के **कला एवं मानविकी संकाय** के उर्दू विभाग, अरबी विभाग, फ़ारसी विभाग एवं अंग्रेजी विभाग, **सामाजिक विज्ञान संकाय** के शिक्षाशास्त्र विज्ञान, इतिहास विभाग, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, शारीरिक शिक्षा विभाग एवं भूगोल विभाग, **वाणिज्य संकाय** के वाणिज्य विभाग एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, **विज्ञान संकाय** के कम्प्यूटर साइंस एवं इन्फारमेशन टेक्नोलॉजीज विभाग एवं गृह विज्ञान विभाग के आर0ए0सी0 बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त शोध विद्यार्थियों के Synopsis का भी सर्वसम्मति अनुमोदन प्रदान किया। (संलग्नक–1)

बिन्दु संख्या–4

दिनांक 14.07.2020 को प्रस्तावित संकाय बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त को अनुमोदित कराने पर विचार।

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ की विद्यापरिषद की 07वीं बैठक दिनांक 19.05.2020 को पूर्वान्ह् 11:30 बजे की उपस्थिति।

क्रम	अधिकारियों / शिक्षकों का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, मा0 कुलपति / मा0 अध्यक्ष	अध्यक्ष	
2.	प्रो0 मो0 सगीर बेग अफराहीम, उर्दू विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	वाह्य सदस्य	
3.	प्रो0 मो0 शफ़ीक अहमद, कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर।	वाह्य सदस्य	
4.	प्रो0 सैय्यद अफ़जल मुर्तजा रिज़वी, कम्प्यूटर साइन्स विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।	वाह्य सदस्य	
5.	प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	वाह्य सदस्य	98·3
6.	प्रो0 साबिरा हबीब, आचार्य रशियन (सेवानिवृत्त), लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	विशेष आमंत्रित	98·4
7.	डॉ0 अनूप आनन्द, आचार्य फ्रेन्च, डॉ0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।	विशेष आमंत्रित	98·1
8.	प्रो0 मसऊद आलम, विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग।	आन्तरिक सदस्य	98·3
9.	प्रो0 सैय्यद हैदर अली, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रबन्ध विभाग।	आन्तरिक सदस्य	98·3
10.	प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग।	आन्तरिक सदस्य	98·4
11.	डॉ0 एहतेशाम अहमद, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग।	आन्तरिक सदस्य	98·4
12.	डॉ0 तनवीर खदीजा, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग।	आन्तरिक सदस्य	
13.	डॉ0 चन्दना डे, विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग।	आन्तरिक सदस्य	

14.	डॉ0 फख़रे आलम, सह आचार्य, उर्दू विभाग।	आन्तरिक सदस्य	98.3
15.	डॉ0 मुशीर अहमद, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबन्धन विभाग।	आन्तरिक सदस्य	
16.	डॉ0 अब्दुल हफीज़, सहायक आचार्य, अरबी विभाग।	आन्तरिक सदस्य	
17.	डॉ0 मज़हर खालिक, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर साइंस विभाग।	आन्तरिक सदस्य	
18.	डॉ0 नीरज शुक्ल, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग।	आन्तरिक सदस्य	98.3
19.	डॉ0 पूनम, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, प्रतिनिधि एस0सी0/एस0टी0।	आन्तरिक सदस्य	
20.	डॉ0 रूचिता सुजय चौधरी, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, प्रतिनिधि एस0सी0/एस0टी0।	आन्तरिक सदस्य	
21.	श्री महेन्द्र कुमार भट्ट, वित्त अधिकारी।	विशिष्ट आमंत्रित	98.4
22.	श्री अशोक कुमार अरविन्द, कुलसचिव/सदस्य सचिव	सदस्य सचिव	98.4

98.2 D.R
98.3 A.R

निर्णय–

विद्यापरिषद द्वारा दिनांक 14.07.2020 को प्रस्तावित संकाय बोर्ड **(यथा कला एवं मानविकी संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं विज्ञान संकाय)** की बैठकों के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त **कला एवं मानविकी संकाय** के उर्दू विभाग में शोध हेतु श्री मुख़्तार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार नये प्रवेशित शोधार्थियों के साथ अपना कोर्सवर्क के पूर्ण करने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–5

विश्वविद्यालय में उर्दू, अरबी एवं फ़ारसी विषयों की तरह संस्कृत विषय को भी Elementary विषय के तौर पढ़ाये एवं प्रारम्भ किये जाने पर विचारोपरान्त अनुमोदन।

निर्णय–

विद्यापरिषद में विश्वविद्यालय में उर्दू, अरबी एवं फ़ारसी विषयों की तरह संस्कृत विषय को भी Elementary विषय के तौर पढ़ाये एवं प्रारम्भ किये जाने पर विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा निम्नानुसार अपना मत प्रस्तुत किया गया–

1. प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ला द्वारा **अपनी सहमति व्यक्त की गयी।**
2. प्रो0 ए0 चर्टजी द्वारा **अपनी सहमति व्यक्त करते हुये Communication Skills को भी बढ़ावा दिये जाने हेतु सुझाव दिया गया।**
3. प्रो0 मसऊद आलम द्वारा **अपनी सहमति व्यक्त नहीं की गयी।**
4. प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी द्वारा **अपनी सहमति व्यक्त नहीं की गयी।**
5. प्रो0 सैय्यद हैदर अली द्वारा संस्कृत विषय को **Elementary के रूप में पढ़ाये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए हिन्दी विषय को भी Elementary विषय के तौर पढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया।**
6. डॉ0 एहतेशाम अहमद द्वारा **अपनी सहमति व्यक्त की गयी।**
7. डॉ0 तनवीर ख़दीजा द्वारा **अपनी सहमति व्यक्त की गयी।**
8. डॉ0 चन्दना डे द्वारा **अपनी सहमति व्यक्त की गयी।**
9. डॉ0 फ़खरे आलम द्वारा **अपनी सहमति व्यक्त नहीं की गयी।**
10. डॉ0 मुशीर अहमद द्वारा द्वारा संस्कृत विषय को **Elementary के रूप में पढ़ाये जाने पर असहमति व्यक्त करते हुए** जर्मन, फ्रेन्च, स्पेनिस एवं चाईनीज़ को **Elementary विषय के तौर पढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया।**
11. डॉ0 अब्दुल हफीज़ द्वारा **अपनी सहमति व्यक्त नहीं की गयी।**
12. डॉ0 प्रियंका द्वारा **अपनी सहमति व्यक्त की गयी।**
13. डॉ0 मज़हर ख़ालिक द्वारा **अपनी सहमति व्यक्त की गयी।**
14. डॉ0 नीरज शुक्ल द्वारा **अपनी सहमति व्यक्त की गयी।**
15. डॉ0 पूनम द्वारा **अपनी सहमति व्यक्त की गयी।**
16. डॉ0 रूचिता सुजय चौधरी द्वारा **अपनी सहमति व्यक्त की गयी।**

विद्यापरिषद में उपरोक्त 16 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की तथा 05 सदस्यों ने अपनी असहमति व्यक्त की।

बिन्दु संख्या–6

भूगोल विभाग के शोध विद्यार्थियों के सम्बन्ध में विचारोपरान्त अनुमोदन।

निर्णय–

विद्यापरिषद द्वारा भूगोल विभाग के शोध विद्यार्थियों के सम्बन्ध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि डॉ0 सबीना बानो, विषय प्रभारी, भूगोल को उनके 01 वर्ष ग्रहणाधिकार अवकाश (Lien Leave) के दृष्टिगत के उनको शोध कार्य हेतु Supervisor के रूप में ही रहने दिया गया जाये एवं उनके अवकाश की अवधि में एक Co-Supervisor किसी अन्य विश्वविद्यालय से नामित करा लिया जाये। उपरोक्त को विद्यापरिषद के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

बिन्दु संख्या–7

उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1028/ सत्तर–1–2020 दिनांकः 11 जुलाई, 2020 के द्वारा सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30–06–2020 तथा शासनादेश संख्या–927/सत्तर–3–2020– 9(23)/2020 टी0सी0 दिनांक 24 अप्रैल, 2020 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालयों के आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 को प्रारम्भ किये जाने एवं अध्ययन–अध्यापन की गतिविधियों तथा शैक्षणिक कैलेण्डर का निर्धारिण किये जाने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त अनुमोदन।

(1) ई–कन्टेंट की तैयारी।

(2) प्रवेश प्रक्रिया।

(3) शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ।

(4) पठन–पाठन कार्य।

(3) निरन्तर मूल्यांक/सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा।

(3) शैक्षणिक कैलेण्डर।

उपरोक्त कृपया अनुपालनार्थ/अनुमोदनार्थ।

निर्णय–

विद्यापरिषद द्वारा उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1028/ सत्तर–1–2020 दिनांक 11 जुलाई, 2020 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालयों के आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 को प्रारम्भ किये जाने एवं अध्ययन–अध्यापन की गतिविधियों तथा शैक्षणिक कैलेण्डर का निर्धारिण किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों को अनुमोदन प्रदान किया गया एवं उपरोक्त शासनादेश को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–8

अन्य बिन्दु माननीय कुलपति/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

बिन्दु संख्या–8.1

विश्वविद्यालय में Executive/Part Time शोध प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

निर्णय–

विश्वविद्यालय में Executive/Part Time शोध प्रारम्भ किये जाने पर विचारोपरान्त शोध कार्य हेतु परिनियमावली की अंगीकृत किया गया। जिसको विद्यापरिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(संलग्नक–2)

बिन्दु संख्या–8.2

विश्वविद्यालय के विरूद्ध किये जाने वाली फर्जी शिकायतों/प्रकरणों पर चर्चा।

निर्णय–

माननीय कुलपति/अध्यक्ष महोदय द्वारा ऐसी फर्जी शिकायतों/प्रकरणों की जाँच हेतु डॉ0 एहतेशाम अहमद, कुलानुशासक, डॉ0 नीरज शुक्ल, सहायक आचार्य, डॉ0 अब्दुल हफीज़, सहायक आचार्य की समिति बनाने स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय एवं विद्यापरिषद के सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

15/7/2020

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव/सदस्य सचिव।

(प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा)
मा0 कुलपति/अध्यक्ष, विद्यापरिषद